प्रेषक,

गेन्दन लाल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उ0प्र0 लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 09 नवम्बर, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना" के मानक मद "02 मजदूरी" में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1612/ए-4/2015, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) राजस्व लेखा के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना" के मानक मद "02 मजदूरी हेतु भुगतान" के अन्तर्गत अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि रू0-6547000.00 (रू0 पैंसठ लाख सैंतालिस हजार मात्र) संलग्न विवरणानुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वहन करने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही कारणोवश धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31.3.2016 तक वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

3. विभाग द्वारा जिस मानक मद से पुर्नविनियोग कराया जा रहा है, उसमें अतिरिक्त की मांग नहीं की जायेगी।

4. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय में जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के मुख्य लेखाशीर्षक "2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग-आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-004-अनुसंधान तथा विकास-03-खनिज अन्वेषण के मानक मद "01-वेतन-रू0 3347000.00 (रूपये तैतिस लाख सैंतालिस हजार मात्र) एवं "03-मंहगाई भत्ता मद में रू0 3200000.00 (रूपये बत्तीस लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0- 6547000.00 (रू0 पैंसठ लाख सैंतालिस हजार मात्र) की उक्त मदों में सम्भावित बचतों से पुनर्विनियोग करके इसी अनुदान संख्या-4 के लेखाशीर्षक "2853" अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग" आयोजनेत्तर-02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना के मानक मद" 02 मजदूरी" मद के नामें संलग्नक में उल्लिखित विवरणानुसार डाली जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6-600/दस-2015, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक: पुनर्विनियोग आदेश/प्रपत्र

भवदीय,

[redacted]

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3503(1)/86-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 एवं 3 ।
7. वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-6 ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ
फार्म बी0एम0-9(भाग-1)
पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन
(सन्दर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

संख्या-3503/86-15 दिनांक 09.11.2015

अनुदान संख्या व नाम-04 उद्योग विभाग (खाने और खनिज)

वित्तीय वर्ष 2015-16 (धनराशि हजार रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाले धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनोयग (2-5)
1	2	3	4	5	6
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग"- आयोजनेत्तर					
02-खानों का विनियमन तथा विकास					
004-अनुसंधान तथा विकास					
03-खनिज अन्वेषण					
01-वेतन	65800	28200	3347	3347	62453
03-महगाई भत्ता	76960	31300	3200	3200	73760
योग-2853(004) 03	**142760**	**59500**	**6547**	**6547**	**136213**
निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाले धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनोयग (2-5)
7	8	9	10	11	12
"2853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग"- आयोजनेत्तर					
02-खानों का विनियमन तथा विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-खनन प्रशासन की योजना					
02 मजदूरी	4200	10747	6547	6547	10747
योग-2853(001) 03	**4200**	**10747**	**6547**	**6547**	**10747**

1 स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्न लिखित है।

"03-खनिज अन्वेषण की योजना" के मानक मद 01-वेतन एवं 03 मंहगाई भत्ता में कतिपय पद रिक्त होने के कारण बचत संभावित है।

2 स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित प्रत्याशित व्यय के कारण निम्नांकित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"03-खनन प्रशासन की योजना" के "02"- मजदूरी के मद में आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये कुशल एवं अकुशल श्रमिकों के भुगतान हेतु व्यय-भार संभावित है। अतः इस मद में अतिरिक्त प्राविधान कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

3 प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

हस्ताक्षर

संख्या-3503(1)/86-2015, दिनांक 09 नवम्बर, 2015 आर0ई0सं0-139/ई-6/दस-2015, दिनांक 09 नवम्बर, 2015

नाम व पदनाम (गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव
प्रशासकीय विभागः भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद

हस्ताक्षर
(राम किशोर पाण्डेय)
नाम पदनाम संयुक्त सचिव
वित्त विभागः वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-6 उ0प्र0 शासन लखनऊ

संख्या- तद्दिनांक

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1 निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ।
2 मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3 निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों सहित)

हस्ताक्षर
नाम पदनाम (गेन्दन लाल)
संयुक्त सचिव
प्रशासकीय विभागः भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से सम्बन्धित पुनर्विनियोग के लिये अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्ताव में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाये।
2. जिन लेखाशीर्षो में प्रभाव पडेगा उनका वर्णन व्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।
3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोग की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बन्धित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हो, को सम्मिलित किया जाये।
4. प्रपत्र के कालम- 5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पनुर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।